पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 12.06.2024

दिनांक 11/12.06.2024 को थाना चिनहट 04, ठाकुरगंज 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना वजीरगंज- दिनांक 12.06.2024 को थाना वजीरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री फजरुल्लाह खां पुत्र मो0 सलीम खां निवासी 165/131 हैदर मिर्जा रोड थाना अमीनाबाद लखनऊ ने थाना वजीरगंज पर सूचना दिया कि वादी अपनी पुत्री फातिमा खान पत्नी स्व0फरहाद हसन के साथ बैंक के काम से यूनियन बैंक आफ इण्डिया लखनऊ बी0एन0 वर्मा रोड शाखा अमीनाबाद में गया था। समय करीब 14.45 बजे और बैंक में पड़ी कुर्सी पर लेडीज हैंड बैग जिसमे वोटर आई0डी0 कार्ड आधार कार्ड, पेन कार्ड, डेबिट कार्ड कोटक बैंक व लगभग 12,000/- रुपये नगद व अन्य जरुरी कागजात थे, जो अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0- 186/2024 धारा-379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना इटौंजा- दिनांक 12.06.2024 को थाना इटौंजा द्वारा बताया गया कि श्री विनोद कुमार (चौकीदार) पुत्र शिवाकांत निवासी ग्राम कुण्डापुर थाना इटौंजा लखनऊ ने थाना इटौंजा पर सूचना दिया कि आज दिनांक 12.06.2024 को समय करीब 12.40 बजे दोपहर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से मो0सा0 सवार की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई है। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री धीरेन्द्र राय मो0नं0-9415013256 इटौंजा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 12.06.2024 दोपहर धरमपुर क्रासिंग के सामने सीतापुर-लखनऊ रोड पर एक मो0सा0 को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें दीनदयाल उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र सोबरन लाल निवासी महाराजपुर थाना मानपुर जिला सीतापुर मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं अनिल उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र रामकुमार निवासी मिलकपुर थाना मछरेहटा जिला सीतापुर घायल हो गए जिन्हें इलाज हेतु केजीएमयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। मृतक मजदूरी करता था।

थाना मदेयगंज / चौकी मेडिकल कालेज- आज दिनाक 12.06.2024 को केजीएमयू ट्रामा सेंटर से मेडिकल कॉलेज चौकी पर एक किता मेमो इस आशय से भेजा गया कि शादाब उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र स्व0 जकी निवासी शाह दोषी मजार निराला नगर थाना मदेयगंज लखनऊ को मृत अवस्था में अस्पताल में दाखिल कराया गया। **इस सूचना पर चौकी प्रभारी मेडिकल कालेज मो0न0- 7839861051 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्य की जा रही है।** थाना मदेयगंज द्वारा बताया गया की रात्रि समय करीब 2:45 बजे मानसी निगम पुत्री संजय निगम उम्र करीब 15 वर्ष निवासी दुबग्गा लखनऊ घर पर पड़ी डांट से क्षुब्ध होकर पुराने पक्का पुल से गोमती नदी में कूद गई। जिसे वहां मौजूद शादाब उपरोक्त द्वारा बचाने का प्रयास में नदी में उतर गया। मानसी निगम को निकाल लिया गया एवं उसके परिजनों द्वारा एंबुलेस से इलाज हेतु केजीएमयू ट्रामा सेंटर भेजा गया जहां से उसे बलरामपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां मानसी उपरोक्त इलाजरत है। परंतु मानसी को बचने के लिए नदी में उतरा शादाब उपरोक्त नदी में डूब गया जिसे पुलिस द्वारा स्थानीय गोताखोरों की मदद से निकालवाकर इलाज हेतु केजीएमयू ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों द्वारा शादाब उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक ऑटो चलाता था एवं अविवाहित था।

<u>थाना गोमतीनगर-</u> दिनांक 12.06.2024 को थाना गोमतीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री अनुज कुमार वार्ष्णेय पुत्र स्व0 श्रीगोपाल वार्ष्णेय निवासी 1/24 विपुलखण्ड थाना गोमतीनगर लखनऊ ने थाना गोमतीनगर पर सूचना दिया कि दिनांक 11/06/2024 को वादी को मैसेज मिला कि वादी के कार्ड सं0 4531570143822908 से यूरो 851.90 (76754.93/ रू.) का भुगतान हुआ है। पता करने में पता चला कि ये भुगतान Amsterdam में Booking.com के माध्यम से हुआ है जो कि पूर्णतया अनाधिकृत है। वादी द्वारा किसी को OTP नही दिया गया है एवं किसी को भी कार्ड की डिटेल्स नही दी गयी है। **इस सूचना पर थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0- 255/2024 धारा- 66डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना गोसांईगंज-</u> दिनांक 12.06.2024 को थाना गोसांईगंज द्वारा बताया गया कि श्री धीरेंद्र तिवारी पुत्र स्व0 श्यामनरायन तिवारी निवासी ग्राम रसूलपुर थाना रसूलपुर जनपद छपरा बिहार ने थाना गोसांईगंज पर सूचना दिया कि वह अपनी पत्नी व पुत्र किशन कुमार तिवारी उम्र लगभग 20 वर्ष के साथ हरिहरनाथ एक्सप्रेस से अंबाला से अपने गांव जा रहे थे कि आज दिनांक 12.06.2024 समय करीब 10:30 बजे सुबह उनका पुत्र किशन उपरोक्त ग्राम कबीरपुर थाना गोसाईगंज क्षेत्र में चलती ट्रेन से अचानक नीचे गिर गया जिससे उनके पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री दयाराम साहनी मो0नं0- 831847551 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक अविवाहित था एवं माता-पिता के साथ अंबाला में होटल चलाता था।